पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 280/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 09.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक- 09.09.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाहियां की गयीः-

01-थाना कोतवाली: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– अवगत कराना है कि दिनांक 29.08.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादिनी अपनी मां की मृत्यु के बाद मायके में ही रहती है तथा दिनांक 27-08-2024 को वादिनी की लड़की को 1-तौफीक पुत्र इकबाल, उसका भाई 2-तौसिफ पुत्र इकबाल तथा उसके दोस्त 3-वसीम अहमद पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम व थाना गम्भीरपुर बहला- फुसला कर उठा ले गये तथा लड़की के ऊपर दबाव डालकर तौफीक ने अपने एकाउन्ट में पैसा मंगाया। पूछने के लिये वादिनी आरोपी अभियुक्त के घर गयी तो वसीम व तौसिफ ने गाली गलौज देते हुए धमकी दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 484/2024 धारा 137(2)/87/351(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 09.09.2024 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त तौफीक अहमद पुत्र इकबाल अहमद उम्र 24 वर्ष सा0 गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को प्राइवेट बस अड्डा नरौली पुल के पास से समय करीब 10:25 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02. थाना- रानी की सरायः चोरी की ठेलिया के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- अवगत करना है कि दिनाँक 08.09.2024 को वादी मुकदमा रामसमुझ पुत्र स्व0 श्यामदेव राम नि0 कोठिया थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दि0 07/09/2024 को समय लगभग 2 बजे प्रार्थी का ठेला बेलइसा सास बहू मे गावाट के पास से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 266/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 बनाम नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक- 09.09.2024 को उ0नि0 अजय प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 01.लालधारी पुत्र स्व0 शोभा यादव सा0 ईश्वरपुर थाना रानी की सराय आजमगढ़,02. राजेश सोनकर पुत्र छुन्नू सोनकर सा0 साहगढ थाना सिधारी आजमगढ़ को चोरी का ठेलिया के साथ निजामाबाद रोड रेलवे क्रासिंग के पास समय करीब 12.15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

03.थाना- अहरौला: चोरी के जेवरात व मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- अवगत कराना है कि दिनांक 21.04.2024 को वादिनी रुकैया पत्नी रिजवान अहमद ग्राम कन्दरी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 09.04.2024 को वादिनी अपने घर पर ताला बंद करके अपने मायके ग्राम कजराकोल थाना फूलपुर आजमगढ़ चली गई थी तथा दिनांक 15.04.2024 को जब मायके से अपने घर वापस आई तो देखी कि छत पर चढ़कर सीढी के रास्ते अज्ञात चोर घर में घूसकर तिजोरी का लाक तोड़कर सोने की एक लकेट, सोने की दो चूड़ी, सोने की एक नथिया, सोने का कान में पहनने वाला बन्दा पिन, सोने की दो बाली, सोने की पांच नाक की किल, चांदी का एक चुनचुना को चुरा ले गए हैं, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पर मु0अ0सं0 164/24 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात चोर के अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना तत्कालीन चौकी प्रभारी उ0नि0 शिवसागर यादव के सुपुर्द हुयी उनके स्थानान्तरण के उपरान्त अभियोग कि विवेचना चौकी प्रभारी उ0नि0 सुधीर कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

➡वादी मुकदमा श्री रिजवान अमहद पुत्र स्व0 मो0 रजा निवासी ग्राम कन्दरी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर शिकायत किया कि विपक्षी फैजान अहमद पुत्र सुफियान अहमद निवासी ग्राम कन्दरी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व एक अज्ञात द्वारा वादी मुकदमा की मोटरसाईकिल होन्डा साइन को चोरी करके भागने के उपरान्त बगल के गाव पाकड़पुर में किशन यादव व अन्य गांव के लोगो द्वारा पकड़ लिये जाने पर चोरी की मोटरसाईकिल व अभियुक्त को पकड़ कर थाने पर कार्यवाही हेतु लाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 388/2024 धारा 305(ए)/317(2)/331(4) बीएनएस दि0घ0 08.09.2024 बनाम 1. फैजान अहमद पुत्र सुफियान अहमद निवासी ग्राम कन्दरी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 2. अज्ञात व्यक्ति बतफ्तीशी उ0नि0 श्री सुधीर कुमार सिंह के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 08/09/2024 को चौकी प्रभारी उ0नि0 सुधीर कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त फैजान अहमद पुत्र सुफियान अहमद निवासी ग्राम कन्दरी थाना अहरौला जनपद उम्र 38 वर्ष थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को चोरी के जेवरात एक जोड़ी सफेद धातु पायल, एक जोडी पीली धातु कंगन व दो अदद नथिया (नाक की कील) पीली धातु बरामद किया गया तथा चोरी की मोटर साइकिल बरामद किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को समय 17.00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

04.थाना निजामाबादः चोरी की तीन घटनाओं का सफल अनावरण; चोरी के जेवरात व नकदी बरामद ।

पूर्व की घटना– अवगत कराना है कि दिनांक 21.07.2024 को वादिनी केवली देवी पत्नी स्व0 गिरधारी निवासी घूरीपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ रिस्तेदारी में गई थी दिनांक 22.07.24 को जब वापस आयी तो घर का ताला टूटा हुआ था अज्ञात चोरो द्वारा घर मे घुस कर घर मे रखे हुए नकदी रुपये व गहनो की चोरी कर ली गई थी। जिसके संबन्ध में दिनांक 22.07.24 को मु0अ0सं0 351/24 धारा 331(4)/305/324(4) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

➡ आमना इण्टरनेशनल स्कूल चकिया हुसैनाबाद के प्रबन्धक मो0 मोअज्जम पुत्र हाजी शकील अहमद ग्राम चकिया हुसैनाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ ने सूचना दिया कि दिनांक 21-22.07.024 की रात को अज्ञात चोरो द्वारा स्कूल की आफिस का ताला तोड़कर CCTV कैमरा सेटअप तथा 15 हजार रुपया चुरा ले गए जिसके संबन्ध में दिनांक 23.07.24 को मु0अ0सं0 353/2024 धारा 305 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

➡वादी लालमुनी यादव पुत्र सम्हारु निवासी दमदियावन थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ के कबाड़ा की दुकान से दिनांक 27.08.24 की रात्रि में दुकान के अन्दर से 8000 हजार रू0 नगद व व कीमती कबाड़ चोर उठा ले गये। जिसके संबन्ध में दिनांक 28.08.24 को मु0अ0स0 417/24 धारा 305 BNS पंजीकृत किया गया था।

➡ मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान अभियुक्त 1. शुभम राय S/O स्व0 तिलठू राय निवासी टुंण्डवल थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 2. नासिर खांन पुत्र तालिब निवासी ग्राम बारीखास थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण दिनांक 09.09.24 को उ0नि0 सुधीर पांण्डेय, उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. शुभम राय S/O स्व0 तिलठू राय निवासी टुंण्डवल थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 2. नासिर खांन पुत्र तालिब निवासी ग्राम बारीखास थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को 3000 रुपया नगद, एक जोडा पायल सफेद धातु, चार अदद विधिया सफेद धातु के साथ दत्तात्रेय मंदिर के मोड के पास से समय करीब 2.10 बजे अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

05. थाना- जहानागंजः जिला बदर अपराधी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 09.09.2024 को उ0नि0 हृदयानन्द पाठक मय हमराह को सूचना मिली थाना जहानागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 94/22 धारा 272, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि आदि मुकदमों में धारा उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र जगनरायन यादव निवासी कारीसाथ थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 62 वर्ष को दिनांक-30.03.2024 से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया था नियत समय सीमा के अन्दर कुछ दिनो से अपने घर पर ही रह रहा है तथा इस समय अपने के घर पर ही मौजूद है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस जिलाबदर अपराधी के घर दबिश देकर पकड़ लिया गया। अभियुक्त राजेन्द्र यादव उपरोक्त को समय करीब 13.00 बजे पुलिस हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।